न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 01/2020 GCMS No.–2020/0014

रामधन पुत्र स्व0 श्री भूराराम जाति मीणा निवासी गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा बीड की ढाणी तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती नैना देवी पुत्री स्व0 श्री भूराराम पत्नी स्व0 श्री तोफान मीणा निवासी आसावतो की ढाणी प्रेमनगर जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती कल्ली पुत्री स्व0 श्री भूराराम पत्नी श्री हरिनारायण मीणा निवासी बटवाडी वाया नायला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. श्रीमती मनभर पुत्री स्व0 श्री भूराराम मीणा पत्नी श्री बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी कल्याणपुरा रिको के सामने मानसरोवर, जयपुर।
5. श्रीमती रामा पुत्री स्व0 श्री भूराराम मीणा पत्नी श्री गोपाल लाल मीणा निवासी कल्याणपुरा रिको के सामने मानसरोवर जयपुर।
6. श्रीमती शांति पुत्री स्व0 श्री भूराराम मीणा पत्नी श्री भोमाराम मीणा निवासी पीपल्या कजोड मेहर की ढाणी वाया गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. श्रीमती संतोष पत्नी स्व0 श्री लल्लूलाल
8. महेन्द्र पुत्र स्व0 लल्लूराम
9. महेश पुत्र स्व0 लल्लूराम
10. कुमारी पूजा मीणा पुत्री स्व0 लल्लूलाल

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार जी (भू.अ.) सांगानेर द्वारा गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर, के नामान्तकरण संख्या 377 पर पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 के संबंध में।

उपस्थितः–

1. श्री मनीष पारीक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 15.11.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 29.05.2019 जिससे नामान्तरकरण संख्या 377 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.12.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। रेस्पा. के जवाब शामिल मिसल किये गये। पत्रावली बहस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार भूराराम पुत्र मांगीया जाति मीणा की मृत्यु दिनांक 30.01.2017 को हो जाने के पश्चात तहसीलदार सांगानेर ने भूराराम पुत्र मांगीया के हक व हिस्से की आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 10 के हक में दिनांक 29.05.2019 को तस्दीक कर दिया। अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 10 अनूसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं अनूसुचित जनजाति सदस्यों में एवं परिवार में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। मृतक भूराराम के दो जायन्दा पुत्र रामधन व लल्लूलाल ही है। लल्लूलाल की मृत्यु हो जाने पर उनके दो पुत्र महेन्द्र व महेश जो कि रेस्पा0 संख्या 8 व 9 है। इसलिए अपीलांट के पिता स्व0 भूराराम की मृत्यु के पश्चात भूराराम द्वारा छोडी गई चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र मालिक अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 8 व 9 ही है। अपीलाधीन नामान्तकरण के अर्न्तगत वर्णित भूराराम मीना के हक व हिस्से की सम्पत्ति स्वयं की अर्जित सम्पत्ति है। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 8 व 9 की काबिज काश्त है। सर्वप्रथम अपीलाधीन नामान्तकरण पर आदेश ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा द्वारा ही दिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. भूराराम के जायज वारिसो की जांच नहीं की एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विपरीत जाकर नामान्तकरण तस्दीक किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 377 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **1966 RRD page 71, 2014(2) RRT page 901, 2006 (2) RRT page 1215, 1988 RRD page 61, 1988 RRD page 391, 2006(2) RRT Page 1085, 1999 RBJ page 158, 1998 RRD page 319, 2011(2) RJT page 803, 1995 RRD page 576, 1956 AIR page 340, 2007 RRD page 138, 2011(1) RRT page 602, 1987 AIR page 1353, 1985 AIR page 606, 1990 RRD page 479, 1999 RRD page 173, 2002 RRD page 31** आदि पेश किये।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की पालना करते हुए तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 377 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर द्वारा निर्णित दिनांक 29.05.2019 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार भूरा पिता मांगीया हिस्सा 1/4 का विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत दांतली के सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 18.05.2017 के आधार पर भरा गया। जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 29.05.2019 द्वारा तस्दीक किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. भूरा के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उसकी जायन्दा पुत्र, पुत्रियों के हक में तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधन अधिनियम 2005 तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार सहदायिक (संयुक्त वारिस) की पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान अधिकार से सहदायिक बन जाती है एवं सहदायिक संपत्ति में बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि यदि व पुत्र होता तो उसे प्राप्त होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधन 2005 की पालना करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया जाना जाहिर होता है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा विरासत के आधार पर भरे गये नामान्तकरण स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर